न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/21/2019	10–06–2019	20–08–2019

1– शांतनू कुमार पुत्र मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

2– प्रशांत कुमार पुत्र मुकेश कुमार नाबालिग जरिये माता सरपरस्त स्वंय सरिता देवी पत्नी मुकेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रेम नारायण जाति ब्राहमण।

2– खगेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रेम नारायण जाति ब्राहमण।

3– दुर्गा प्रसाद पुत्र उमराव सिंह जाति ब्राहमण निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

4– सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर डिस्कॉम, मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जनकसिंह चौधरी –वकील प्रार्थीगण
02. श्री भगवान सहाय शर्मा –वकील अप्रार्थीगण 1 व 2
03. श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील अप्रार्थीगण 3

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शांतनू कुमार वगै0 बनाम मुकेश कुमार वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से सही तथ्यों पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध आरटीएक्ट के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। जिसके साथ प्रा.पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 कोर्ट परिसर व गांव में कहते फिरते है कि सहायक कलेक्टर मुण्डावर से साठ–गांठ हो गयी है। वादीगण के विरूद्ध वाद का निर्णय करेंगे। हम प्रार्थीगण ने भी अप्रार्थीगण को कचहरी परिसर में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आते–जाते देखा है। हम प्रार्थीगण ने भी पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत मिलने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा भी अप्रार्थीगण स. 1 लगा0 3 के पक्ष में वाद को निर्णित करने की धमकी दी है। जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहां कि यह मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं किसी के भी हक में फैसला करू

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

मुझे रोकने वाला कौन होता है। यदि मेरे फैसले से किसी को परेशानी है तो वह मेरे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण सं.1 लगा0 3 के दबाव में है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी से मिन प्रार्थीगण को न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी यह नहीं कहां गया कि उसकी सहायक कलक्टर मुण्डावर से साठ–गांठ है। मिन अप्रार्थी केवल एकमात्र प्रकरण में नियत पेशी पर कचहरी परिसर में अन्य किसी तारीख पर नहीं आता है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर झूठे आरोप लगाये गये है। विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष एक वाद दुर्गा प्रसाद वगै0 के खिलाफ अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट का पेश किया गया था, जिसका निर्णय दिनांक 15.09.2006 को हो गया। जिस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी सं0 3 द्वारा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की गई। जिसका निर्णय दिनांक 11.07.2017 को खारिज कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2006 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं. 3 द्वारा एक राजीनामा दिनांक 24.09.2012 को किया। जिस राजीनामें को सौ रूपये के स्टाम्प पर तहरीर कराया जाकर पब्लिक नोटेरी से तस्दीक कराया गया। लेकिन अप्रार्थी सं. 3 ना तो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के निर्णय पर सहमत हुए और ना राजीनाम दिनांक 24.09.12 से सहमत हुए। जिस कारण पक्षकारों के मध्य तकासमा नहीं हो सका। अप्रार्थी सं. 1 को उसका तकसीमशुदा हिस्सा नहीं मिलने के कारण प्रार्थीगण को उनका हक देने में असमर्थ है। मिन अप्रार्थी को जब उसका हक व हिस्सा तकसीम होकर मिल जायेगा तो उसमें से प्रार्थीगण को हक व हिस्सा देने को तैयार है। अप्रार्थी सं. 2 एक राजनैतिक व्यक्ति है जो पीठासीन अधिकारी के यहां अक्सर आता–जाता रहता है। यदि प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय से उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में सुनवाई हेतु मुंतकिल कराना चाहते है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप मनगढंत रूप से दर्ज किये गये है। प्रार्थना–पत्र महज वाद में देरी करने की गर्ज से पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के बाबत किसी भी साक्ष्यी का शपथ–पत्र पृथक से पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 आपस में सगे–संबंधी है। मात्र अप्रार्थी सं. 3 को परेशान करने की गर्ज से प्रा0पत्र पेश किया गया है। जो खारिज फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि न्यायालय हाजा में वाद विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी अमुक नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये समस्त आरोप झूठे व मनगढंत है। वकील प्रतिवादी का तारीख पेशीयो से कोई लेना देना नहीं है साथ ही वादी वकील के द्वारा 02 बार प्रतिनिधित्व पत्र पेश किया जा चुका है। जिससे अदालत का समय बर्बाद होता है।

पत्रावली दिनांक 07.06.19 को वास्ते गौर तलबी, जवाब/बहस दर0 07 नियम 11 जा.दी0 नियत कर आगामी पेशी दि. 18.06.19 नियत की थी। तत्पश्चात् दि. 18.06.19 को प्रतिवादी वकील के द्वारा दर0 07 नियम 11 जा0दी0 नोट प्रेस में खारिज करवा ली गई। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित किये है। न्यायालय हाजा द्वारा विधि अनुरूप ही कार्य किया जाता है। प्रार्थी द्वारा पेश सभी आरोप बनावटी व मनगढंत है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20–08–2019 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/8/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)